

कार्यालय- उपायुक्त-सह- जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

(कल्याण शाखा)

पत्रांक 53

प्रेषक,

उपायुक्त,
लातेहार।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
तुबेद कोल माईन्स लिमिटेड,
लातेहार।

लातेहार, दिनांक 29 / 01 / 2014

विषय :- तुबेद कोल माईन्स लिमिटेड, लातेहार के अन्तर्गत पड़ने वाली वन भूमि अपयोजन हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापति प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि तुबेद कोल माईन्स लिमिटेड, लातेहार के अन्तर्गत पड़ने वाली वन भूमि के अपयोजन हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, लातेहार के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में विहित-प्रपत्र में अनापति प्रमाण-पत्र संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।



विश्वासभाजन

[Signature]
29/01/14
उपायुक्त,
लातेहार।



कार्यालय उपायुक्त -सह- दण्डाधिकारी, जिला- लातेहार।

प्रमाण-पत्र

संख्या :- ०५ / क०

दिनांक 29.01.2017

1. अंचल अधिकारी, लातेहार का पत्रांक 22, दिनांक 24.01.2014 एवं अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति, लातेहार का ज्ञापक 20/C, दिनांक 28.01.2014 द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं दिनांक 29.01.2014 को आयोजित जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, लातेहार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में प्रमाणित किया जाता है कि तुबेद कोल माईन्स लिमिटेड, लातेहार परियोजना के लिए प्रस्तावित वन भूमि 401.28 एकड़ के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत Settlement of Rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। प्रस्तावित वन भूमि एवं गैर-मजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि की विवरणी निम्नवत है :-

क्र०	अंचल	ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	
						वन भूमि	गैर-मजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लातेहार	मंगरा	330	25	3	—	11.20
					6	—	7.99
					10	—	4.31
					13	—	6.37
					17	—	0.87
					19	—	0.30
					22	—	0.66
					28	0.70	1.23
					29	21.20	1.01
					76	—	1.68
					80	—	1.20
					योग :-	21.90	36.80
2	लातेहार	तुबेद	333	30	6	8.40	0.03
					12	—	0.24
					17	13.70	4.53
					293	—	7.35
					467	—	15.00
					513	7.70	4.54
					536	—	10.80
					538	—	1.35
					545	—	1.74
					548	—	0.09
					552	—	0.66
					योग :-	29.80	46.23
3	लातेहार	डीही	334	91	14	2.91	0.01
					15	36.95	0.55
					22	—	4.03
					24	2.50	12.15
					25	8.60	11.40
					28	28.30	2.23
					29	0.16	—
					30	3.22	—
					योग :-	82.64	30.37
					3	—	1.43
4	लातेहार	घोबियाझारन	336	43	19	—	0.68
					24	—	5.32
					33	—	0.42
					35	—	0.14
					38	—	0.02
					40	—	0.06
					43	—	0.17
					46	—	0.41
					48	—	0.52
					50	—	3.65



29/01/17



4	लातेहार	घोबियाझारन	336	43	56	—	6.15
					62	—	1.07
					70	—	1.14
					79	—	0.03
					82	—	7.92
					103	—	1.80
					105	—	8.66
					167	—	1.70
					184	—	0.12
					196	—	0.09
					199	—	0.10
					205	—	0.23
					208	—	0.04
					213	—	0.04
					227	—	0.05
					229	—	0.09
					231	—	0.03
					232	—	0.02
					238	—	0.12
					291	—	10.50
					293	—	11.70
					352	—	9.46
355	—	3.46					
योग :-					—	77.28	
5	लातेहार	अम्बाझारन	335	1	1	—	51.65
					2	—	11.60
					130	—	8.68
					134	—	4.33
योग :-					—	76.26	
					134.34 ए०	266.94 ए०	
कुल योग :- 134.34+266.94 = 401.28 एकड़							

2. प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्रों में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा को व्यख्यापित कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जन जाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा- 3 (1) (e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिये जाने वाली सुविधाओं से संबंधित वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा- 3 (2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।



[Signature]
29/01/14
रूपायुक्त

—सह—

अध्यक्ष, जिला स्तरीय व०अ०स०,
लातेहार।

